छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार,दिनांक 17 मार्च, 2023 (फाल्गुन 26, 1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/12, दिनांक 04 जनवरी, 2023 पटल पर रखेंगे।

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, अल्पसंख्यक विकास मंत्री, वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर द्वारा कोरोना काल में प्राप्त राशि के उपयोग में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य, अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीन को गैर आदिवासियों को अंतरिम एवं लीज पर दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, प्रदेश के अंबुजा सीमेंट, ईमामी सीमेंट तथा अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा शासकीय नियमों का पालन नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिला–अंतर्गत भू–माफियाओं द्वारा आदिवासियों की जमीन को सामान्य वर्ग के लोगों को विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गरीबी रेखा के हितग्राहियों को पक्का मकान निर्माण कर नहीं दिये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(6) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले के घरघोड़ा विकासखण्ड में कोयले का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी किये जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, राजधानी रायपुर में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, शासकीय गौठानों में रोजगार देने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रारंभ रीपा योजना में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) सर्वश्री धनेन्द्र साहू, कुलदीप जुनेजा, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कार्यों में संशोधन नहीं किये जाने से विकास कार्य अवरूद्ध होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश की रेत खदानों में पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, जिला रायपुर के अभनपुर में संचालित निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, रायपुर शहर में नशेबाजों द्वारा एक छात्र की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, डोंगरगढ़ शहर में स्थित शासकीय तालाब में अतिक्रमण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज की ग्राम पंचायतों में जमीनों के अतिक्रमण में संलिप्त भू–माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के परिवार को सहायता राशि नहीं दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, जिला–रायपुर के विकासखण्ड–तिल्दा में रोजगार गारंटी योजना में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, बलौदाबाजार वन मंडल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य एवं वन परिक्षेत्रों में वन्य जीवों की मौतें होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासियों की व्यपवर्तित भूमि को खरीदने व बेचने के नियम से आम जनता को परेशानी होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री मोहन मरकाम, सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित समय

5. वित्तीय वर्ष 2023–2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा

2 घंटे (1) **श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या 28 राज्य विधान मण्डल
मांग संख्या 13 कृषि
मांग संख्या 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 16 मछलीपालन
मांग संख्या 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय
मांग संख्या 23 जल संसाधन विभाग
मांग संख्या 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या 57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2 घंटे (2) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 33 आदिम जाति कल्याण
मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना
मांग संख्या 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल
मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना
मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन
मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा
मांग संख्या 17 सहकारिता

क्रमशः 4

6. अशासकीय विधेयक

निर्धारित समय
1 घंटा

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

7. अशासकीय संकल्प

20 मिनट (1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ में सस्ते एवं सुगम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाये।''

20 मिनट (2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''बिलासपुर न्यायधानी की विद्युत लाईनों को पूर्णतः अण्डर ग्राऊंड किया जाये।''

20 मिनट (3) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राकृतिक आपदा के समान मुआवजा राशि प्रदान किया जाये।''

15 मिनट (4) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश में सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह, सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा परित्यक्तता महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाये।''

15 मिनट (5) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत मछुआरा समुदाय–केंवट, धीवर, कहार, मल्लाह जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 16 मार्च,2023